

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

31/021

पत्नीवली पेश हुई। बहुलारे जारी के त उपस्थित। तहसील दार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। तहसील दार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक, विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम रकबेदार	रक.स.	रक.वा	क्षेत्र/लेगांन
1-	सागर सिंह पुत्र नन्नू भौम	573	- 2.02	मालकोयक
	मीना सा.देह जोड़ियेकर	394	- 0.02	पाटखोकर

किता 2 - 2.04

2 -	गढ़ेन्द्र सिंह पुत्र नन्नू, विद्याबाई	137 1/1	- 0.05	वारानी तृतीय
	भारती शीला पुत्रिया नन्नू	516 1/2	- 4.05	माल 1
	द्रोणीबाई देवा नन्नू भौम	477	- 0.03	पाटखोकर
	मीना सा.देह	574	- 1.14	माल 2
		960 1/1	- 4.14	मालकोयक

किता 5 - 11.01

3 -	जगदीश, इभरत, भुजवल पुत्र	137 1/2	- 0.05	वारानी तृतीय
	शमनाथ, राममूर्ति, रामसिधा	395	- 2.16	पाटी 2 माल
	पुत्रिया रामनाथ, चम्पबाई	516 1/1	- 8.01	माल 1
	पत्नि रामनाथ भौम मीना	574 1/1	- 0.10	माल 2
	सा.देह.			

किता 4 - 11.12

4 -	रुक्मणी, रेखा, काली, भूरी	137 1/3	- 0.02	वारानी तृतीय
	पुत्रिया राधेश्याम, शांती	960 1/1	- 1.13	मालकोयक
	बाई देवा राधेश्याम भौम			
	मीना सा.देह			

किता 2 - 1.15

उपखण्ड अधिकारी
पंचसाल जिला कार्य (राज.)

उपखान
103/011
हरियाणा
सि. - अमियापक वाली

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश			
क्र. सं.	नाम रकतेदार	ख. नं.	रकबा	कि. मी.
5-	के. लाल, धारा सिंह,	137	—	0.06 - करानी वृत्त
	मौजिलाल पुत्र रामप्रसाद	573	—	9.05 - मार सोथक
	अनुसुइया, द्रोणीबाई	1	—	
	पुत्रिका रामप्रसाद	478	—	2.09 - पाही 2
	माराधनी बेता रामप्रसाद	516	—	1.06 - जे. मु. गील माल I
	के. सीता श. देह			
			किता 4	— 13.06 —

नोट - ख. नं. 477/003 कि. मी. - पाह अक्कल से मूक्ति में सिन्धुई करने का अधिकार पूर्व स्थिति अनुसार रहेगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद करने हेतु तहसीलदार दफ्तर को आवेष्टित किया जाता है। तदनुसार फालत सुनिश्चित करें। निर्धारित शाही का स्वाम्य पत्रा करेने पर अंतिम डिडी जारी की जावे। पत्रावली फेशाल शुकर होकर दायित्व दफ्तर हो।

म
उपखान्ड अधिकारी
छवड़ा जिला बरॉ (राज.)
उपखान्ड अधिकारी
छवड़ा जिला बरॉ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

अंतिम डिक्री

103/011

धारा अंतर्गत 53,188,183 RTA

निर्णय दिनांक 21/01/21

द्वारा श्री मनीषा मनीषा तिकारी RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां

स्थिति :- अभिभाषक वादी श्रीमकर शर्मा

अभिभाषक प्रतिवादी श्रीम मुखण शर्मा

वाद शीर्षक

1- सागर सिंह S/O नन्नु जाति मीणा निकासी गोडिया-चारण तहसील छबड़ा- जिला- बारां (वादी)

- V/S
- 1 अहेन्द्र सिंह 2 विद्याकाई 3 भारत 4 सीला, 5- देवीकाई देवा नन्नु मीणा
 - 6 जगदीश 7 इमरत 8 मुजबल 9 मुन्नी 10 रामभूति 11- रामसिया
 - 12- चम्पाकाई पति समस्त पिता-पुत्र रामनाथ मीणा S/O गोडिया मेहर तहसील छबड़ा
 - 13 रुस्मणीकाई 14- रेखा पुत्री, 15 कालीकाई पुत्री 16 मुरीकाई 17 शांतीकाई
 - देवा राधेश्याम मीणा S/O गोडिया मेहर 18 कल्प पुत्र 19 पारसिंह 20 अंगीलाल
 - 21 अनुसुइया पुत्री 22 शशीकाई पुत्री 23 नारायणी देवा समस्त के पिता-पति
 - राम प्रसाद मीणा गोडिया मेहर तहसील छबड़ा 24- सरकार जयें तहसीलदार छबड़ा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक तहसीलदार छबड़ा से

प्राप्त किया जात प्रस्ताव अनुकर पक्ष भारत के तहसीलदार-पक्ष के तहसीलदार के पास जाता है।

क्र.सं.	नाम रकतेदार	रक.न.	रकवा
1	सागर सिंह पुत्र नन्नु	573	2.02
	मेम मीणा	394	0.02

C:A

किता- 2 रकवा 2.04 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (%)		
	योग		